<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी : , केशव कौशिक आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या 188/2022 (सी.आई.एस. नं. 195/2022)

राजस्थान राज्य

बनाम

1. निर्भय सिंह पुत्र भगवान सिंह, उम्र 43 साल, निवासी चार थोक जघीना, थाना उद्योग नगर, भरतपुर; हाल निवासी अनिरुद्ध नगर, थाना मथुरा गेट, भरतपुर
2. जतीपाल सिंह पुत्र सुरेश चन्द, उम्र 35 साल, निवासी तालफरा, थाना कुम्हेर, भरतपुर
3. सुरेश चन्द पुत्र सूरजमल, उम्र 65 साल, निवासी तालफरा, थाना कुम्हेर, भरतपुर
4. श्रीमती माया देवी पत्नी निर्भय सिंह, उम्र 42 साल, निवासी चार थोक जघीना, थाना उद्योग नगर, भरतपुर; हाल निवासी अनिरुद्ध नगर, थाना मथुरा गेट, भरतपुर

---- अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, विकल्प में 325 सपठित धारा 34, 336, 308, विकल्प में धारा 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :-

1. श्री नरेश चन्द, विद्वान् लोक अभियोजक।
2. श्री राजकुमार फौजदार, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण।

<u>नि र्ण य</u> **दिनांक : 21.02.2025**

1. इस प्रकरण में थानाधिकारी, पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 280/2020 में बाद अनुसंधान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, भरतपुर में अभियुक्तगण निर्भय सिंह, जतीपाल सिंह, सुरेश चन्द व श्रीमती माया देवी के विरुद्ध धारा 323, 341, 325, 336, 308, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया जो अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से इस न्यायालय को उपार्पित किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.05.2020 को परिवादी लक्ष्मण सिंह ने पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर में इस आशय की तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उसके पुत्र हरेन्द्र का अनिरुद्ध नगर, भरतपुर में मकान है, जिसके मकान के सामने निर्भय सिंह का मकान है, जिसकी पत्नी माया रोजाना अपनी भैंसों के कूड़े करकट को हरेन्द्र के मकान के बगल के प्लॉट के सहारे डालती है, जिससे हरेन्द्र की नाली बन्द होने पर दिनांक 25.05.2020 को सुबह तकाजा किया तो माया गाली-गुफ्ता कर चली गई और धमकी दी कि आज मजा चखाएंगे। उसके बाद करीब 2.00-2.30 बजे परिवादी के पुत्र हरेन्द्र व गोपाल घर पर ही थे, तब

एकदम निर्भय सिंह, उसकी पत्नी माया, पुत्र मानवेन्द्र उर्फ मोन्टी, दिनेश, जतीपाल व सुरेश हाथों में डण्डा, सरिया लेकर घर में घुस आए और गाली देने लगे। सुरेश व माया ने कहा कि इनको जान से खत्म कर दो, जिस पर निर्भय ने गोपाल के सिर में सरिया मारा, जतीपाल ने गोपाल के सिर में डण्डा मारा, मानवेन्द्र व दिनेश ने सरिया जगह-जगह मारे। हरेन्द्र बचाने लगा तो निर्भय ने सिर में सरिया मारा, मानवेन्द्र ने बायें हाथ में डण्डा मारा तथा सभी एकदम मारने-पीटने लग गए। सूचना मिलने पर वह आया और उन्हें भर्ती कराया। उक्त घटना को नीटू व दिनेश ने देखा है। उक्त सभी ने जान से मारने के इरादे से घटना कारित की है। उसके दोनों पुत्र आर.बी.एम. अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। उक्त झगड़े में माया ने हरेन्द्र के गले से सोने की चैन तोड़ ली। अत: कानूनी कार्यवाही की जावे। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 280/2020, अपराध अंतर्गत धारा 143, 323 341, 452, 379, 504 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

3. दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लिए गए, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, आहतगण के चोट प्रतिवेदन, एक्स-रे रिपोर्ट व एक्स-रे प्लेट प्राप्त किए गए, सीसी टीवी फुटेज प्राप्त किए गए। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण निर्भय सिंह, जतीपाल सिंह, सुरेश चन्द व श्रीमती माया देवी के विरुद्ध धारा 341, 323, 325, 336, 308/34 भा.दं.सं. के अपराध प्रमाणित पाते हुए सक्षम न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

4. न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर दिनांक 01.05.2024 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 325, विकल्प में 325 सपठित धारा 34, 336, 308, विकल्प में धारा 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोप को साबित करने के क्रम में मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.डब्ल्यू.1 लक्ष्मण सिंह, पी.डब्ल्यू.2 गोपाल सिंह, पी.डब्ल्यू.3 हरेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू.4 नीटूसिंह, पी.डब्ल्यू.5 श्यामसुन्दर, पी.डब्ल्यू.6 डॉ. अरिजीत दत्ता, पी.डब्ल्यू.7 राजवीरी उर्फ गीता, पी.डब्ल्यू.8 केहरीसिंह, पी.डब्ल्यू.9 रमेशचन्द, पी.डब्ल्यू.10 दिनेश सिंह, पी.डब्ल्यू.11 जगत सिंह, पी.डब्ल्यू.12 राजीव कुमार, पी.डब्ल्यू.13 वंदिता राणा, पी.डब्ल्यू.14 लाखन सिंह, पी.डब्ल्यू.15 हरगोपाल सिंह, पी.डब्ल्यू.16 महेशचन्द, पी.डब्ल्यू.17 देवेन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू.18 सतीश शर्मा एवं पी.डब्ल्यू.19 रामवीर सिंह को प्रदर्शित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी.2 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी.3 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी.4 पुलिस बयान गवाह लक्ष्मण सिंह, प्रदर्श पी.5 चोट प्रतिवेदन मजरूब गोपाल, प्रदर्श पी.6 व प्रदर्श पी.8 पुलिस बयान क्रमश: गवाह गोपाल, हरेन्द्र सिंह व नीटूसिंह, प्रदर्श पी.9 फर्द जब्ती सीडी, प्रदर्श पी.10 चोट प्रतिवेदन मजरूब हरेन्द्र सिंह, प्रदर्श पी.11 एक्स-रे रिपोर्ट,

प्रदर्श पी.12 एक्स-रे प्लेट, प्रदर्श पी.13 एक्स–रे रिपोर्ट मजरूब गोपाल, प्रदर्श पी.14 एक्स-रे प्लेट गोपाल, पुन: प्रदर्शित प्रदर्श पी.14 लगायत प्रदर्श पी.16 पुलिस बयान क्रमश: गवाहान राजवीरी, केहरी सिंह व जगतसिंह, प्रदर्श पी.17 फोटो पहचान, प्रदर्श पी.18 फर्द विश्लेषण सीडी, प्रदर्श पी.19 लगायत प्रदर्श पी.21 फर्द गिरफ्तारी क्रमश: मुलजिमान निर्भय सिंह, जतीपाल व सुरेशचन्द, प्रदर्श पी.22 फर्द बरामदगी डण्डा, प्रदर्श पी.23 नक्शा बरामदगी स्थल, प्रदर्श पी.24 फर्द बरामदगी लाठी बांस, प्रदर्श पी.25 नक्शा बरामदगी स्थल, प्रदर्श पी.26 व प्रदर्श पी.27 फर्द इत्तिला मुलजिमान क्रमश: निर्भय सिंह व जतीपाल, प्रदर्श पी.28 आरोपपत्र एवं प्रदर्श पी.29 मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्शित कराए गए।

6. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट आपराधिक दायित्व के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को गलत होना व गवाहों द्वारा झूठ बोलना बताया तथा कथन किया कि वे निर्दोष हैं एवं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.05.2020 को दोपहर करीब 2.00-2.30 बजे अनिरुद्ध नगर कॉलोनी, पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर स्थित आम रास्ते में आहत हरेन्द्र व गोपाल को दिशा विशेष में जाने से निवारित किया, जिस दिशा में जाने का उन्हें अधिकार था तथा उनके साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित कीं ?
2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर दीगर मुलजिमान के साथ सामान्य आशय के अनुक्रम में आहत गोपाल के साथ कुन्द हथियार लाठी, डण्डा, सरिया से मारपीट कर स्वेच्छया पैर की अंगुली में गंभीर उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर दीगर मुलजिमान के साथ सामान्य आशय के अनुक्रम में आहत हरेन्द्र के मकान पर उतावलेपन या उपेक्षा से ईंट-पत्थर फेंककर वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया ?
4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर दीगर मुलजिमान के साथ सामान्य आशय के अनुक्रम में आहतगण हरेन्द्र व गोपाल के सिर में ऐसे आशय या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में चोट कारित कीं, जिससे यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वे हत्या नहीं होने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते तथा इस प्रकार उन्होंने आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किया, जिसके लिए वे समान रूप से दायी हैं ?
5. यदि हाँ, तो उसके लिए अभियुक्तगण को उपयुक्त दण्ड क्या हो ?

8. इस प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.05.2020 को हरेन्द्र के मकान के बगल में स्थित प्लॉट में भैंस का कूड़ा-करकट डालने से हरेन्द्र की नाली बन्द होने का तकाजा करने पर, अभियुक्तगण निर्भयसिंह, उसकी पत्नी माया, पुत्र मानवेन्द्र उर्फ मोन्टी, दिनेश, जतीपाल व सुरेश द्वारा डण्डा, सरिया लेकर घर में घुसकर गाली दीं, निर्भय व जतीपाल द्वारा गोपाल के सिर में क्रमश: सरिया व डण्डा तथा मानवेन्द्र व दिनेश ने जगह-जगह सरिया मारे। जब हरेन्द्र बचाने लगा तो निर्भय ने उसके सिर में सरिया, मानवेन्द्र ने बायें हाथ में डण्डा मारा एवं सभी ने एकदम मारपीट की, जिससे मजरूबान के शरीर पर अन्य चोटों के अलावा गोपाल के पैर की अंगुली में गंभीर उपहति एवं आहतगण हरेन्द्र व गोपाल के सिर में चोट कारित हुई।

9. इस संबंध में अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू.1 लक्ष्मण सिंह को परीक्षित कराया गया है जो इस प्रकरण का परिवादी रहा है। इस गवाह ने मुख्यपरीक्षा में अभिकथन किया है कि उसे नहीं पता कि क्या बात हुई थी। उसकके बड़े पुत्र हरेन्द्र सिंह का मकान अनिरुद्ध नगर में है, जिसके आस-पास मकानात हैं, लेकिन वे किन-किनके हैं, वह नहीं जानता है। उसे झगड़े के बारे में पता नहीं, वह मौके पर मौजूद नहीं था। उसके बेटे हरेन्द्र व गजेन्द्र झगड़े में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे एवं सूचना मिलने पर वह अस्पताल गया था। दूसरे दिन उसके दोनों बेटे बता रहे थे कि उसके मकान के सामने के मकान वाले निर्भय सिंह से विवाद हो गया था। गवाह ने आगे कथन किया है कि ''निर्भय ने कोई मारपीट नहीं की थी।'' गवाह ने यह भी अभिकथन किया है कि अड़ोसी-पड़ोसी ने घटना बताई थी, जिस पर उसने रिपोर्ट करा दी। इस गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.2, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.3 पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हुए कथन किया है कि उसे नहीं पता कि उसके बेटों को किसने चोटें पहुंचाईं। इस गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराकर की गई प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन पक्ष को सहायता प्राप्त होती हो, बल्कि उसने प्रतिपरीक्षा में भी यही स्वीकार किया है कि उसके सामने निर्भय सिंह, जतीपाल, सुरेश व माया द्वारा उसके बेटों के साथ कोई मारपीट नहीं की गई थी। इस प्रकार, पी.डब्ल्यू.1 लक्ष्मण सिंह, परिवादी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से घटनास्थल के आस-पास के लोगों के बताने के आधार पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 दर्ज कराने, मजरूब हरेन्द्र व गजेन्द्र का अस्पताल में भर्ती होने, परन्तु उसके चोट कारित करने वालों के संबंध में जानकारी नहीं होने तथा अभियुक्त निर्भय सिंह द्वारा मजरूबान के साथ मारपीट नहीं करने बाबत साक्ष्य दी है। उक्त गवाह की साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं रहा है।

10. पी.डब्यू.2 गोपाल सिंह उर्फ गजेन्द्र सिंह इस प्रकरण का मजरूब है, जिसने अपने मुख्य बयानों में सशपथ अभिकथन किया है कि उसका भाई हरेन्द्र सिंह, अनिरुद्ध नगर,

भरतपुर में रहता है तथा वह अपने भाई के यहां जाता रहता है। भाई के मकान के सामने किसका मकान है, उसे नहीं पता। चार साल पहले दोपहर में वह अपने भाई से मिलने अकेला गया, तब वहां भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जिसमें कौन-कौन थे, वह देख नहीं पाया था। गाली-गलौंज कौन कर रहा था, उसे नहीं पता। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि भीड़ में उसके डण्डा लग गया था जो किसने मारा, उसे नहीं पता तथा उसके भाई हरेन्द्र के भी चोट आई थी जो किसने मारी, उसे नहीं पता तथा झगड़ा करने वाले कौन थे, वह नहीं जानता तथा उसे नहीं पता कि झगड़ा करने वालों के हाथों में क्या हथियार थे। गवाह ने अभियुक्तगण के संबंध में आगे स्पष्ट कथन किया है कि ''निर्भय, जतीपाल, माया, सुरेश को मैंने हरेन्द्र व मेरे साथ झगड़ा करते हुए नहीं देखा।'' इस प्रकार, उक्त गवाह ने अपने बयानों में यह स्पष्ट साक्ष्य दी है कि अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं किया, न ही उनके द्वारा स्वयं अथवा अपने भाई के कोई चोट कारित करने बाबत साख्य दी है। इस गवाह ने भी नक्शा मौका प्रदर्श पी.3, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.5 को प्रमाणित किया है एवं स्वयं का एक्स-रे होना भी बताया है। इस गवाह को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराकर की गई प्रतिपरीक्षा में भी गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उनके साथ माया, सुरेश, निर्भय व जतीपाल ने मारपीट की हो। इस प्रकार, उक्त गवाह ने भी अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दी है, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित माने जा सकें।

11. पी.डब्ल्यू.3 हरेन्द्र सिंह भी इस प्रकरण का मजरूब है, जिसके घर के सामने अभियोजन द्वारा झगड़ा होना बताया गया है। उक्त गवाह ने अपनी सशपथ साक्ष्य में अभिकथित किया है कि उसके मकान के सामने निर्भय सिंह का मकान है। करीब चार साल पहले दोपहर को उसकी बुआ का लड़का उसके घर आया, तब बाहर नाली पर भीड़ हो रही थी एवं गाली-गलौंज हो रही थी। भीड़ में किसी ने उसके सिर में डण्डा या कुछ मार दिया जो किसने मारा, उसे पता नहीं। उसके छोटे भाई गजेन्द्र उर्फ गोपाल को भी चोट लगी थी। भीड़-भाड़ में सभी बचाव कर रहे थे। गवाह ने यह भी अभिकथन किया है कि नाली को लेकर झगड़ा हो रहा था एवं नाली में उनकी भैंसों का गोबर आ जाता है, जिससे नाली अवरुद्ध हो जाती है, जिस पर झगड़ा हो रहा था। उसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना हुआ था। इस प्रकार, उक्त गवाह पक्षद्रोही रहा है, जिसने अभियोजन की ओर से की गई जिरह में भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट करना साबित होता हो, बल्कि बचाव पक्ष की जिरह में उसने स्वीकार किया है कि निर्भय सिंह, माया, जतीपाल व सुरेश ने उनके साथ कोई झगड़ा नहीं किया। इस प्रकार, जिरह में गवाह ने स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के साथ झगड़ा करने अथवा चोट कारित करने से स्पष्टत: इन्कार किया है।

12. अभियोजन कहानी के अनुसार नीटू सिंह घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहा है। उक्त प्रत्यक्षदर्शी गवाह नीटूसिंह को पी.डब्ल्यू.4 के रूप में परीक्षित कराया गया है, परन्तु उक्त गवाह

भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही रहा है। उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि अनिरुद्ध नगर में उसके मामाजी का लड़का हरेन्द्र रहता है, जिनसे वह झगड़े से काफी समय पूर्व मिलने गया। हरेन्द्र सिंह के मकान के बाहर क्या गाली-गलौंज हुई, उसे पता नहीं। गोपाल उसके मामाजी के लड़के हैं जो हरेन्द्र से छोटे हैं। गवाह ने आगे कथन किया है कि उस समय निर्भय, उस के साले वगैरह हरेन्द्र सिंह के साथ लाठी-डण्डों से मारपीट की हो, निर्भय ने हरेन्द्र व गोपाल के सिर में मारा हो, तो उसे पता नहीं तथा उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसने किसी को मारते-पीटते नहीं देखा। इस गवाह से अभियोजन की ओर से की गई जिरह में भी अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है।

13. पी.डब्ल्यू.8 केहरीसिंह भी घटना का चश्मदीद गवह रहा है, परन्तु उसने भी अपनी मुख्यपरीक्षा में हरेन्द्र, गोपाल व निर्भय में झगड़ा देखने और किसी के सिर में कोई चोट व खून निकलते हुए देखने से इन्कार किया है। इस गवाह ने विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराकर की गई प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि हरेन्द्र व निर्भय दोनों पड़ोसी हैं, इसके अलावा इस गवाह की सम्पूर्ण साक्ष्य में घटना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है।

14. पी.डब्ल्यू.9 रमेशचन्द ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभिकथित किया है कि वह डॉ. कमलेश को जानता है, जिसका प्लॉट अनिरुद्ध नगर में हरेन्द्र के मकान के पास में है। डॉक्टर साहब उसके मिलने वाले हैं जो अपने प्लॉट की झाड़ियों की सफाई कराने के लिए उसकी जेसीबी किराये पर लेकर गए एवं वह स्वयं भी साथ गया। पड़ोसी लेडीज व अन्य ने झाड़ियों को काटने से मना कर दिया एवं मजदूरों को भगा दिया तो वह वापस अपने घर आ गया। गवाह ने आगे कथन किया है कि उसने सुना था कि शाम को हरेन्द्र व निर्भय वगैरह में झगड़ा हो गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त गवाह से बचाव पक्ष की ओर से कोई जिरह नहीं की गई है, परन्तु उक्त गवाह ने भी साक्ष्य में ऐसा कथन नहीं किया है कि वह घटना का चश्मदीद गवाह रहा हो और अभियुक्तगण द्वारा हरेन्द्र व गोपाल को कोई चोट कारित की गई हो।

15. पी.डब्ल्यू.10 दिनेश सिंह चश्मदीद गवाह है, जिसने मुख्य बयानों में सशपथ अभिकथित किया है कि राजवीरी उसकी बहन है तथा 4 साल पहले वह अपने घर पर था, जहां पर आई उसकी बहन राजवीरी ने बताया कि उनके पड़ोस में डॉ. कमलेश का प्लॉट है, जिसमें खड़ी हुई झाड़ियों को डॉक्टर साहब मजदूरों से कटवा रहे थे, जिस पर निर्भय सिंह व उसकी पत्नी ने मजदूरों से झगड़ा कर उन्हें भगा दिया, जिस बात को लेकर निर्भय सिंह व हरेन्द्र सिंह में आपस में झगड़ा हो गया एवं दोनों तरफ से उनके चोटें आई एवं गोपाल के सिर में भी चोटें आई। उसकी बहन ने बताया कि पड़ोसी निर्भय सिंह व उसके लड़के गाली-गलौंज करते हैं तथा असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में दिनांक 18.06.2020 को राजवीरी के मकान में लगे हुए सीसी टीवी फुटेज की सीडी प्रदर्श पी.9 जब्त की, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि झगड़ा उसके सामने

नहीं हुआ था एवं निर्भय सिंह व उसके लड़के गाली-गलौंज करते थे, यह बात उसकी बहन ने बताई थी। इस प्रकार, उक्त गवाह की साक्ष्य के अनुसार झगड़े के संबंध में उसे उसकी बहन राजवीरी, जो कि मजरूब हरेन्द्र सिंह की पत्नी एवं इस गवाह की बहन है, द्वारा अपने घर आकर बताने पर ज्ञात होना जाहिर होता है। इस गवाह की साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि पड़ोसी प्लॉट से झाड़ियों को कटवाने की बात पर अभियुक्त निर्भय सिंह व मजरूब हरेन्द्र सिंह के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के चोटें आईं, परन्तु गवाह की उपरोक्त साक्ष्य के अनुसार यह गवाह चश्मदीद गवाह नहीं रहा है, इसलिए उक्त गवाह की साक्ष्य मात्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि घटना में आहत हरेन्द्र सिंह व गोपाल सिंह स्वयं अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने से चोटें आने के तथ्य से अपनी साक्ष्य में इन्कार करते हैं। यहां यह कहना भी समीचीन होगा कि निर्भय सिंह व उसके लड़के द्वारा गाली-गलौंज व असभ्य भाषा का प्रयोग करना भी यह गवाह अपनी बहन, अर्थात् राजवीरी के कहे अनुसार ही बताना अभिकथित करता है, जिस तथ्य पर भी अन्य गवाहों की साक्ष्य के अभाव में विश्वास नहीं किया जा सकता है।

16. पी.डब्ल्यू. 11 जगत सिंह भी घटना का तथाकथित चश्मदीद गवाह है, परन्तु उक्त गवाह भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही रहा है। उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभिकथित किया है कि वह लुधावई के लक्ष्मण सिंह को जानता है जो उसके साथ नौकरी करता है तथा उसका लड़का हरेन्द्र सिंह, अनिरुद्ध नगर, भरतपुर में रहता है। लगभग 3-4 साल पहले वह हरेन्द्र सिंह के मकान के पास से जा रहा था, वहां आमने-सामने वाले लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा था, परन्तु उन लोगों के नाम उसे पता नहीं तथा उसके सामने किसी को कोई चोट नहीं लगी। अभियोजन की ओर से की गई जिरह में भी गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी.16 का ए से बी भी गलत होना बताया है। इस प्रकार, उक्त गवाह की साक्ष्य में भी ऐसा तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ा जा सके अथवा यह माना जा सके कि उनके द्वारा मजरूबान को चोटें कारित की गई हों।

17. पी.डब्ल्यू.7 राजवीरी उर्फ गीता, मजरूब हरेन्द्र सिंह की पत्नी है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में स्वयं द्वारा 3-4 साल पहले उनके पड़ोसी डॉ. कमलेश के खाली प्लॉट में बबूल को कटवाने के लिए डॉक्टर साहब से कहा, परन्तु उसे याद नहीं कि उन बबूलों को वह कटवा रही हो। गवाह ने आगे यह भी कथन किया कि निर्भय सिंह झगड़ा करता रहता है, लेकिन उनसे उस दिन कोई झगड़ा नहीं किया तथा मारपीट हुई थी, लेकिन वह उस समय नहीं थी। उस समय गोपाल व उसके पति थे, जिनसे झगड़ा किया था, लेकिन उस समय वह नहीं थी तथा हरेन्द्र व गोपाल के सिर में चोट आई थी। गवाह ने यह भी अभिकथित किया कि उसने माया को पत्थर फैंकते नहीं देखा, उसके पति व देवर के खून निकले थे तथा पुलिस ने उसके सामने सीडी जरिये प्रदर्श पी.9 जब्त की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह ने पक्षद्रोही रहते हुए

अभियोजन की जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी.14 का भाग ए से बी, जिसमें घटना के संबंध में तथ्य अंकित किए गए हैं, पुलिस को देने से स्पष्ट तौर पर इन्कार किया है तथा बचाव पक्ष की ओर से उक्त गवाह से कोई जिरह नहीं की गई है। इस गवाह की उपरोक्त साक्ष्य को देखा जावे तो उसने गोपाल व हरेन्द्र के सिर में चोट आने व उनके खून निकलने बाबत साक्ष्य तो दी है, परन्तु गवाह की साक्ष्य के अनुसार वह वक्त घटना मौजूद नहीं थी, जिससे इस गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है।

18. पी.डब्ल्यू.8 डॉ. अरिजीत दत्ता मेडिकल ज्यूरिष्ट है, जिसने अपने बयानों में दिनांक 26.05.2020 को हरेन्द्र सिंह के शरीर पर कुल 5 चोटें सिर के बायीं तरफ फटा हुआ घाव, बायीं अग्रभुजा पर नीलगू निशान, बायें हाथ की कनिष्का अंगुली में नीलगू निशान, बायीं भुजा में नीलगू निशान एवं दायें हाथ में खरोंच की कुन्द हथियार की कुल 5 चोटें होना तथा बाद एक्स-रे चोट संख्या 1, 2 व 4 में कोई अस्थिभंग नहीं होना व चोट संख्या 3 में पांचवीं मेटाकार्पल अस्थि का भंग होना पाए जाने से चोट संख्या 3 गंभीर प्रकृति की होना अभिकथित किया है। गवाह ने यह भी अभिकथित किया है कि उसी दिन उसने मजरूब गोपाल की चोटों का परीक्षण किया, जिसके चोट संख्या 1 टांका लगा हुआ घाव सिर पर पैराइटल रीजन पर, टांका लगा घाव सिर के दाहिने तरफ, फटा हुआ घाव सिर के बायें तरफ, चोट संख्या 2 फटा हुआ घाव बायीं तर्जनी के अंतिम भाग में, चोट संख्या 3 कंधे के ऊपर खरोंच, चोट संख्या 4 फटा हुआ घाव दाहिने पैर के तलबे पर तथा चोट संख्या 5 बायें पैर की पहली टो में नीलगू निशान की चोटें पाई गईं, जिनमें बाद एक्सरे चोट संख्या 1, 2 व 4 में कोई असिथभंग नहीं पाया गया, परन्तु चोट संख्या 5 में अस्थिभंग पाए जाने से वह गंभीर प्रकृति की थी। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि एक्स-रे रिपोर्ट में चोट संख्या 4 गंभीर प्रकृति की बताई गई है, क्योंकि गोपाल की एक्स-रे रिपोर्ट के समय उससे नम्बरिंग की गलती हो गई थी, इसलिए चोट संख्या 4 को 5 पढ़ा जावे। गवाह ने अस्वीकार किया कि चोटों की अवधि उसने मजरूब के बताए अनुसार लिखी हो तथा एक्स-रे रिपोर्ट में उसके द्वारा राय का अंकन किया गया है।

19. पी.डब्ल्यू.5 श्यामसुन्दर इस प्रकरण का प्रथम अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपनी साक्ष्य में तफ्तीश के दौरान मजरूबान का मेडिकल मुआयना कराकर नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 बनाना, गवाहान लक्ष्मण सिंह, गोपाल, हरेन्द्र, नीटू के अलावा अन्य गवाहों के बयान लेखबद्ध करना, मुस्तगीस के घर में लगे कैमरे की झगड़े के संबंध में सीसी टीवी फुटेज की सीडी जरिये प्रदर्श पी.9 जब्त करना एवं अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली सतीश वर्मा, आर.पी.एस., सी.ओ. सिटी, भरतपुर को सुपुर्द करना अभिकथित किया है। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जिन गवाहों के बयान लिए गए, उनमें परिवार के सदस्य व पड़ोसी भी हैं एवं उसके द्वारा जुर्म प्रमाणित नहीं माना गया, न ही उसके द्वारा गिरफ्तारी की गई।

20. पी.डब्ल्यू.12 राजीव कुमार, तत्कालीन कांस्टेबल, चौकी सारस, पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर है, जिसने श्यामसुन्दर, ए.एस.आई. द्वारा घटना से संबंधित सीसी टीवी फुटेज का फोटो व वीडियो पेनड्राइव में लेने पर स्वयं द्वारा घटनास्थल पर मौजूद झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को पहचानना अभिकथित किया है एवं फोटो पहचान प्रदर्श पी.17 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि वह मुलजिमान को पहले से नहीं जानता था, परन्तु बीट कांस्टेबल होने के नाते वह निर्भय, उसकी पत्नी माया, हरेन्द्र वगेरह को जानता है। इस गवाह की साक्ष्य के अनुक्रम में प्रदर्श पी.17 फोटो पहचान का अवलोकन किया गया। उक्त फोटो में जो व्यक्ति दर्शित हो रहे हैं, वे फोटो स्पष्ट नहीं होने से स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं होता है कि वे कौन-कौन व्यक्ति हैं। इस प्रकार, यद्यपि इस गवाह ने मुलजिमान व परिवादी पक्ष को फोटो में पहचानना बताया है, परन्तु केवल उक्त गवाह के कह देने मात्र से उन्हें अभियुक्तगण होना नहीं माना जा सकता है।

21. पी.डब्ल्यू.13 श्रीमती वंदिता राणा इस प्रकरण की अग्रिम अनुसंधान अधिकारी रही है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भरतपुर सिटी के पद पर रहते हुए इस प्रकरण में गवाहान के बयानों एवं नक्शा मौका की ताईद करने, पत्रावली पर उपलब्ध सीडी का विश्लेषण कर फर्द विश्लेषण प्रदर्श पी.18 तैयार करने एवं सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने बाबत साक्ष्य दी है, परन्तु अभियुक्त पक्ष की ओर से की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा गवाहान के बयान धारा 161 दं.प्र.सं. दोबारा नहीं लिए, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व बयानों की ताईद की थी तथा नक्शा मौका में दर्शित मकानात वाले व्यक्तियों के बयान भी नहीं लिए थे। गवाह ने यह भी अभिकथित किया है कि नक्शा मौका की ताईद किसके द्वारा करवाई ई, यह उसे निश्चित याद नहीं है तथा उसके द्वारा कोई जब्ती नहीं बनाई गई थी। इस प्रकार, उक्त गवाह की साक्ष्य से ही स्पष्ट है कि उसने अपनी मुख्यपरीक्षा में गवाहों के बयानों एवं नक्शा मौका घटनास्थल की पुष्टि करना तो अभिकथित किया है, परन्तु जिरह में किए गए कथनों से यह प्रकट होता है कि उसने नक्शा मौका की पुष्टि स्वयं नहीं की है, बल्कि किसी अन्य के द्वारा करवाई है।

22. पी.डब्ल्यू.14 लाखन सिंह व पी.डब्ल्यू.17 देवेन्द्र सिंह फर्द जब्ती के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में दिनांक 05.06.2022 को मुलजिम निर्भय सिंह द्वारा जैर हिरासत अनुसंधान अधिकारी हरगोपाल सिंह, ए.एस.आई. को दी गई सूचना के मुताबिक अपने रिहायशी मकान के टिनशेड से एक बांस का डण्डा जरिये प्रदर्श पी.12 बरामद कराना एवं प्रदर्श पी.23 बरामदगी स्थल का नक्शा होना अभिकथित किया है। इसी प्रकार मुलजिम जतीपाल द्वारा सूचना के मुताबिक अपने जीजा निर्भय सिंह के मकान में टिनशेड से एक लाठी बांस निकालकर पेश करने पर प्रदर्श पी.24 फर्द बनाना एवं प्रदर्श पी.25 बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाना अभिकथित किया है, परन्तु जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि इत्तिला

उसके सामने नहीं दी थी तथा रवानगी रपट पत्रावली में नहीं है। बांस के डण्डे पर ऐसे निशानात नहीं देखे, जिससे जाहिर होता हो कि उससे घटना कारित की गई हो। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि मुलजिम जतीपाल तालफरा का रहने वाला है एवं उससे लाठी बरामद हुई थी। पी.डब्ल्यू.17 देवेन्द्र सिंह जिरह में मुलजिम द्वारा स्वयं के सामने अनुसंधान अधिकारी को इत्तिला देना, परन्तु पत्रावली में हथियार बरामद कराने की इत्तिला नहीं होना, बरामदगी दिनांक 05.06.2022 को करना अभिकथित करता है।

23. पी.डब्ल्यू.15 हरगोपाल सिंह भी इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अनुसंधान के दौरान मुलजिम निर्भय सिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी.19 गिरफ्तार करने पर उसके द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्श पी.26 के अनुसार अपने रिहायशी मकान के टिनशेड से एक डण्डा बांस निकालकर पेश करने पर उसे जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी.22 बरामद कर नक्शा मौका प्रदर्श पी.23 तैयार करना तथा मुलजिम जतीपाल को जरिये फर्द प्रदर्श पी.20 गिरफ्तार करने पर दी गई इत्तिला प्रदर्श पी.27 पर अपने जीजा के रिहायशी मकान के टिनशेड से एक लाठी निकालकर पेश करने पर जरिये फर्द प्रदर्श पी.24 जब्त करना एवं बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.25 तैयार करना अभिकथित किया है। इसी प्रकार गवाह ने अभियुक्त सुरेश को जरिये फर्द प्रदर्श पी.21 गिरफ्तार करना तथा अभियुक्ता माया देवी की अग्रिम जमानत स्वीकार होने पर जमानल-मुचलके तस्दीक कर शामिल पत्रावली करना तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाते हुए एस.एच.ओ. द्वारा चार्जशीट प्रदर्श पी.28 पेश करना अभिकथित किया है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि धारा 308 भा.दं.सं. का जुर्म प्रमाणित मानने के लिए उसके समक्ष किसी डॉक्टर की राय नहीं थी तथा जो डण्डा व लाठी बरामद किए थे, उस पर कोई खून वगैरह नहीं लगा था।

24. पी.डब्ल्यू.16 महेशचन्द मालखाना इंचार्ज है, जिसने इस प्रकरण में जब्तशुदा डण्डा पुराना इस्तेमाली तथा एक बांस की लाठी पुरानी इस्तेमाली अनसील्ड अवस्था में हरगोपाल, ए.एस.आई. द्वारा मालखाना में जमा कराने पर उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.29 की मद संख्या 163/1081 पर इन्द्राज करना अभिकथित किया है। यहां यह कहना समीचीन होगा कि पी.डब्ल्यू.14 लाखन सिंह मुलजिम जतीपाल से बरामद लाठी बांस बरामद कराने पर उसे जब्त कर सील मोहर करना अभिकथित करता है, जबकि उक्त गवाह की साक्ष्य के अनुसार मालखाना में जमा कराए गए डण्डा व लाठी बांस अनसील्ड अवस्था में थे।

25. पी.डब्ल्यू.18 सतीश शर्मा भी इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने मुकदमा नम्बर 280/2020 व 281/2020 की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाया गया नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 को सही पाते हुए गवाहान के तितम्बा बयान लेखबद्ध करना एवं तत्पश्चात् मुलजिमान के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाते हुए पत्रावली महानिरीक्षक पुलिस के आदेशानुसार उपाधीक्षक, एस.सी.एस.टी. सेल, भरतपुर को भेजना

अभिकथित किया है। इसी गवाह ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में डॉक्टर से धारा 308 भा.दं.सं. के लिए राय नहीं ली थी तथा गवाहान ने तितम्बा बयान में पूर्व में दिए गए बयानों से भिन्न कथन किए थे तथा उसके द्वारा जुर्म प्रमाणित माना गया था।

26. पी.डब्ल्यू.19 रामवीर सिंह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभिकथित किया है कि दिनांक 25.05.2020 को थाना मथुरा गेट पर ए.एस.आई. के पद पर रहते हुए उसकी डी.ओ. ड्यूटी थाना पर थी। मुस्तगीस लक्ष्मण सिंह द्वारा तहरीरी रिपोर्ट पेश करने पर मुकदमा संख्या 280/2020 दर्ज कर तफ्तीश श्यामसुन्दर, ए.एस.आई., सारस चौकी, भरतपुर को सुपुर्द की। गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पर कार्यवाही पुलिस के नीचे स्वयं के व लक्ष्मण सिंह के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है तथा चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.2 को प्रदर्शित कराया है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 उसके समक्ष नहीं लिखी गई थी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय मजरूब थाने पर नहीं आए थे। यद्यपि यह गवाह औपचारिक साक्षी रहा है, परन्तु तहरीरी रिपोर्ट व परिवादी पी.डब्ल्यू.1 लक्ष्मण सिंह के बयानों के अनुसार घटना के पश्चात् आई चोटों के कारण आहतगण हरेन्द्र सिंह व गोपाल अस्पताल में भर्ती थे, ऐसी स्थिति में यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे तहरीरी रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाना पर आते एवं विधि अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मजरूबान का पुलिस थाने पर उपस्थित होना आवश्यक भी नहीं है।

27. इस प्रकार, अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 25.05.2020 को मजरूबान हरेन्द्र सिंह व गोपाल के साथ लाठी, डण्डा, सरिया से मारपीट की गई, जिससे उनके साधारण व गंभीर चोटें कारित हुईं एवं अभियुक्तगण ने आपराधिक मानववध का प्रयास किया। इसके साथ ही अभियुक्तगण के विरुद्ध मजरूब हरेन्द्र सिंह के घर पर ईंट-पत्थर फैंकने के भी आरोप लगाए गए। इस संबंध में अभियोजन की ओर से जो समस्त साक्ष्य पेश की गई है, उससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण के मुख्य गवाहान परिवादी पी.डब्ल्यू.1 तथा मजरूबान गोपाल सिंह व हरेन्द्र सिंह सहित मौके के चश्मदीद गवाहान पी.डब्ल्यू.4 नीटू सिंह, पी.डब्ल्यू.7 राजवीरी उर्फ गीता, पी.डब्ल्यू.8 केहरीसिंह व पी.डब्ल्यू.11 जगत सिंह सभी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही रहे हैं, उनकी साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान के साथ लाठी, डण्डा, सरिया से मारपीट की हो। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के पश्चात् उनकी सूचना के आधार पर अनुसंधान के दौरान एक लाठी व एक डण्डा बरामद किए गए हैं, जिन्हें अपराध में प्रयुक्त किया गया, परन्तु अभियोजन कहानी के अनुसार जिस सरिया से मारपीट करना बताया गया है, उसकी बरामदगी नहीं हुई है, न ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है कि अभियुक्तगण ने लोहे की सरिया से मारपीट की हो।

28. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मजरूबान के शरीर पर आई चोटों के संबंध में पी.डब्ल्यू.2 गोपाल सिंह उर्फ गजेन्द्र सिंह ने भीड़ में से किसी के द्वारा डण्डा मारना एवं स्वयं की चोटों का डॉक्टरी मुआयना व एक्स–रे होना स्वीकार किया है एवं इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.3 हरेन्द्र सिंह ने भी भीड़ में से किसी के द्वारा उसके सिर में डण्डा या कुछ मारना और गजेन्द्र उर्फ गोपाल के भी चोट आना बताया है, परन्तु उक्त गवाहों की साक्ष्य में भी ऐसा तथ्य नहीं आया है कि उक्त चोटें अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई हों, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से मुलजिमान द्वारा स्वयं के साथ कोई झगड़ा नहीं करने बाबत ही अभिकथन किए हैं। पी.डब्ल्यू.6 डॉ. अरिजीत दत्ता ने मजरूबान की चोटों का परीक्षण कर मजरूब हरेन्द्र सिंह की पांचवीं मेटाकार्पल में कारित अस्थिभंग, मजरूब गोपाल के बायें पैर की पहली टो में कारित अस्थिभंग को बाद एक्स-रे गंभीर प्रकृति की होने तथा उनके सिर में चोटें पाए जाने बाबत साक्ष्य दी है, परन्तु मजरूबान के शरीर पर पाई गई उक्त चोटों से ही यह नहीं माना जा सकता है कि वे अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई हों, जबकि इस तथ्य की पुष्टि स्वयं मजरूबान व अन्य गवाहान नहीं करते हों। जिस सीडी से फोटो पहचान प्रदर्श पी.17 तैयार किया गया है, उसमें भी अभियुक्तगण के चेहरे स्पष्ट रूप से दर्शित नहीं हो रहे हैं तथा सीडी को भी साक्ष्य के दौरान अभियोजन की ओर से प्रदर्शित नहीं कराया गया है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि उक्त सीसी टीवी फुटेज हस्तगत प्रकरण की घटना से संबंधित ही हैं तथा फोटो पहचान प्रदर्श पी.17 में दर्शित व्यक्ति ही अभियुक्तगण हैं। अनुसंधान से संबंधित पुलिस अधिकारीगण ने अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 308 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित मानने के संबंध में कोई चिकित्सीय राय भी उनके समक्ष नहीं होना जिरह में अभिकथित किया है। अभियोजन द्वारा जिस प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। न्यायिक दृष्टान्त *मोहन बनाम महाराष्ट्र राज्य – 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन (बॉम्बे) 1625* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब किसी मामले में दो दृष्टिकोण सम्भव हों, तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण हो, उसे अपनाया जाना चाहिए। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरोपी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए एवं आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास एवं संदेह प्रकट हुए हैं, जिनका लाभ अभियुक्त पक्ष को दिया जाना न्यायोचित है।

29. अतः, अभियोजन पक्ष अपनी समस्त साक्ष्य से अभियुक्तगण निर्भय सिंह, जतीपाल, सुरेशचन्द व श्रीमती मायादेवी के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25.05.2020 को दोपहर करीब 2.00-2.30 बजे अनिरुद्ध नगर कॉलोनी, पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर स्थित आम रास्ते में आहत हरेन्द्र व गोपाल को दिशा विशेष में जाने से निवारित किया, जिस दिशा में जाने का उन्हें अधिकार था तथा उनके

साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित कीं तथा सामान्य आशय के अनुक्रम में आहत गोपाल के साथ कुन्द हथियार लाठी, डण्डा, सरिया से मारपीट कर स्वेच्छया पैर की अंगुली में गंभीर उपहति कारित की, आहत हरेन्द्र के मकान पर उतावलेपन या उपेक्षा से ईंट-पत्थर फैंककर वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया तथा आहतगण हरेन्द्र व गोपाल के सिर में ऐसे आशय या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में चोट कारित कीं, जिससे यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वे हत्या नहीं होने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते तथा इस प्रकार उन्होंने आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न किया। अत: ऐसी स्थिति में, अभियुक्तगण धारा 341, 323, 325, विकल्प में 325 सपठित धारा 34, 336, 308, विकल्प में धारा 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आ दे श

30. परिणामत: **अभियुक्त संख्या (1)** निर्भय सिंह पुत्र भगवान सिंह, उम्र 43 साल, निवासी चार थोक जघीना, थाना उद्योग नगर, भरतपुर; हाल निवासी अनिरुद्ध नगर, थाना मथुरा गेट, भरतपुर; **अभियुक्त संख्या (2)** जतीपाल सिंह पुत्र सुरेश चन्द, उम्र 35 साल, निवासी तालफरा, थाना कुम्हेर, भरतपुर **अभियुक्त संख्या (3)** सुरेश चन्द पुत्र सूरजमल, उम्र 65 साल, निवासी तालफरा, थाना कुम्हेर, भरतपुर एवं **अभियुक्त संख्या (4)** श्रीमती माया देवी पत्नी निर्भय सिंह, उम्र 42 साल, निवासी चार थोक जघीना, थाना उद्योग नगर, भरतपुर; हाल निवासी अनिरुद्ध नगर, थाना मथुरा गेट, भरतपुर को धारा 341, 323, 325, विकल्प में 325 सपठित धारा 34, 336, 308, विकल्प में धारा 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

31. प्रकरण में अभियुक्तगण जमानत पर आजाद हैं, अत: उनके द्वारा पूर्व में निष्पादित नियमित उपस्थिति बाबत जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

32. प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

(केशव कौशिक)
सेशन न्यायाधीश
भरतपुर

यह निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(केशव कौशिक)
सेशन न्यायाधीश
भरतपुर